तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 388/2023 बजरंगलाल बनाम धनसिंह वगै0 प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी करवाने	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.1.25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस आशय का है कि वादी ग्राम लोयल स्थित भूमि खसरा नं. 268 रकबा 2.2300 हैक्टर, खसरा नं 270 रकबा 1.6700 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 ग्राम लोयल स्थित भूमि खसरा नं. 86 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नं. 90 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नं. 91 रकबा 1.29 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.04 हैक्टर के खातेदार है। इस भूमि के खातेदार छैलुराम का नाऔलाद देहान्त हो गया है उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 8 से 13 हैं। वादी की भूमि खसरा नं. 268 के उत्तर में प्रतिवादीगण सं 1 से 13 की भूमि खसरा नं. 91 रकबा 1.29 हैक्टर स्थित है व भूमि खसरा नं. 91 के पश्चिम में अन्य व्यक्तियों की भूमि खसरा नं. 92 स्थित है। भूमि खसरा नं. 91 के उत्तर में सटकर रास्ते की भूमि खसरा नं 88 है जो रास्ता राजकीय भूमि है व इस में से होकर रास्ता आम खसरा नं. 93 में से आने का है जो प्रतिवादीगण जो खसरा नं 91 के खातेदार हैं उनके लिए सुगम रास्ता है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 की वास्तविक कब्जे की भूमि खसरा नं. 91 है। उक्त प्रतिवादीगण जबरन से वादी की भूमि खसरा नं. 268 के उत्तरी भाग पर करीब 15 फुट चौडाई में व करीब 200 मीटर लम्बाई में जबरन से रास्ता डालकर कब्जा करना चाहते हैं जिसकी की उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है तथा जिसकी मौका रिपोर्ट भी श्रीमान तहसीलदार जी के आदेश दिनांक 20.10. 2020 से 02.11.2020 को हो चुका है फिर भी प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 वादी की भूमि में जान बुझकर अतिक्रमण कर रहे हैं तथा वादी की भूमि खसरा नं. 268 में जबरन रास्ता डालकर खेत को खराब कर रहे है व उक्त प्रतिवादीगण के इस अवैध कार्य में सहयोग कर रहे हैं व वे उक्त भूमि खसरा नं. 91 के सहखातेदार भी हैं इसलिए उन्हें भी खातेदार बनाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 से 19 द्वारा उक्तं अवैध कार्य से वादी को भारी हैरानी परेशानी हो रही है इसलिए वादी के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा करना आवश्यक हुआ। दावे के लिए आधार विवाद प्रतिवादीगण सं 1 से 19 द्वारा वादी की भूमि खसरा नं. 268 में जबरन रास्ता डालने से पैदा हुआ है। इसलिए दावा सावधि पेश है। दिनांक 02.11.2020 को प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र पर उसकी भूमि खसरा नं. 268. रकबा 2.23 हैक्टर का सीमाज्ञान भी किंय गया था मगर अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को नहीं मानते हैं व वादी/प्रार्थी के खेत खसरा नं 268 की उत्तरी सीमा को व मियाल को तोड़ते रहते हैं। जबाब में 1 लगायत 5, 11, 12, 14 ने उल्लेख किया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड नं. 4 जिस रूप से दर्ज किया गया है। अस्वीकार है प्रतिवादीगण स 1 से 5 की भूमी ख.नं. 91 है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन से प्रार्थी की भूमी में रास्ता कायम नहीं करवाना चाहते है। बल्कि रिकार्ड के मुताबिक ख. नं. 268 प्राथी की भूमि में काफी वर्षों से रिकार्ड में कटा हुआ कटानी रास्ता दर्ज रिकार्ड है तथा मोके पर भी आज भी कायम है प्राथी जबरन उस रास्ते को बन्द करके अपने ख.नं. 268 के पश्चिम मे से रास्ते को गलत रूप से रास्ता बता रहा है प्रार्थी के ख. न 268 के मिलान क्षेत्रफल के हिसाब से गत ख. नं. 61, 66 है, जिन से 268 ख. नं. बने तथा रकबा भी समान ही है तथा इस खसरे 268 के गत खं. नं. 61, 66 का राजस्व रिकार्ड ठिकाना का है जो एक दम सही सटीक है उसमे 61, 66 से भूमि ख. नं. 268 रकबा 2.2300 है से उसके पश्चिमी दक्षिण भाग में से उतर की और खसरा नं. 91 में से जाता है। प्रार्थी ने जो सीमाज्ञान करवाया है वह भी गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री रोहिताश ढाका उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर बार बार आवाज लगवाने पर भी असालतन/वकालतन कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनि गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र पत्थरगडी	

करने हेतु निवेदन किया। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम लोयल स्थित भूमि खसरा नं. 268 रकबा 2.2300 हैक्टर अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 02.11.2020 के अनुसार पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :–

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम लोयल के हाल भूमि खसरा नं. 268 रकबा 2.2300 हैक्टर भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.11.2020 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगड़ी करवायें तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि पत्थरगडी से कोई भी प्रचलित/कटानी रास्ता बंद नहीं हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.1.25 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं